न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–177/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम चन्द्रशेखर साह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/3/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1143/भी0ओ0 दिनांक–16.07.2018 से प्राप्त सदर (भालपट्टी) थाना कांड सं0–236/18 दिनांक 13.06.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन बिना नम्बर का डिस्कवर मोटरसाईकिल चेसिस सं0–MDZA15B49HRG88229 एवं इंजन सं0–JZYRHF37223 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी चन्द्रशेखर साह को नोटिस निर्गत किया गया। तामिला प्राप्त करने के पश्चात् भी विपक्षी वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के रात्रि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी शराब का डिलेवरी करने के लिए मोटरसाईकिल से मुरिया आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मुरिया में गश्ती करने लगे तो देखा कि टाली गुमती मुरिया के पास एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति अपने पास के झोला में संदिग्ध सामान पास खड़े एक मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्ति को दिया। पुलिस बल को देखकर वे लोग भागने लगे। पुलिस बल की सहायता से मोटरसाईकिल एवं झोला में रखे सामान सहित एक व्यक्ति को कब्जा में लिया गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में पीला रंग के झोला में 750*ml* का 11 बोतल रॉलय स्टैग शराब बरामद हुआ। पूछने पर शराब के साथ पकड़ाये गये व्यक्ति अपना नाम चन्द्रशेखर साह, पे0–स्व0 राम लखन साह, साकिन–मुरिया बताया। इस प्रकार बरामद शराब के साथ मोटरसाईकिल को विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन अथवा भण्डारण दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्त मोटरसाईकिल BR07AD-8990 जिसका इंजन सं0–JZYRHF37223 एवं चेसिस सं0–MDZA15B49-HRG88229 है, से अवैध शराब का परिवहन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, जिसे गुप्त सूचना मिलने के पश्चात् मौके पर अवैध शराब का डिलेवरी करने के दौरान पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उक्त मोटरसाईकिल से चौर्य व्यापार हेतु लाये गये झोला में रखे कुल 750*ml* का 11 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया, जिसे विधिवत् जब्त किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार	

मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस का तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई कारण पृच्छा दाखिल किये, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सदर (भालपट्टी) थाना कांड सं0–236/18 दिनांक 13.06.2018 में जब्त वाहन डिस्कवर मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07AD-8990 जिसका इंजन सं0–JZYRHF37223 एवं चेसिस सं0–MDZA15B49HRG88229 है, को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा